



भीमे

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

www.education.rajasthan.gov.in/secondary

so.csection@gmail.com

0151-2523666

—:: कार्यालय आदेश ::—

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक : एफडी(ग्रुप-2)/76 जयपुर दिनांक : 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश क्रमांक : F10(4) FD Rules/76 Dated : 12 September, 2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक : F6(6) FD/ Rules/2010 दिनांक : 25.04.2012 के प्रावधानानुसार चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पावटा, जयपुर की अनुशंषा के आधार पर, श्री जयसिंह यादव, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि भाकरी, ब्लॉक - पावटा (जयपुर) को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक : 05.08.2021 से राजस्थान सिविल सर्विस (Revised Pay) रूल्स, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से परन्तु 600/- (अखरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का मासिक विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

श्री यादव को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों यथा ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मध्यावधि, दशहरा, दीपावली के अवकाशों, स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा लम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/विकलांग वाहन भत्ता/2018/285

दिनांक : 24/08/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर